

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 8-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना, आर.ए.एस

मु० उनवान चन्द्रपाल बनाम बच्चू वगै०

दावा बाबत 88,89,188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 49/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु- व हाजरी वादी
मिनजानिब मुददठ व मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खाता संख्या 455 के खसरा नंबर 1212 रकबा 0.43, खाता संख्या 572 के खसरा नंबर 1850 रकबा 0.28, खाता संख्या 560 के खसरा नंबर 1410 रकबा 0.51, खाता संख्या 185 के खसरा नंबर 1429 रकबा 0.26, 1841 रकबा 0.30, 1876 रकबा 0.56 किता 3 रकबा 1.12 हैक्ट० वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई पर स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से की आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उक्त विवादित आराजी में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 1 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बेज - मुबलिंग ----- बावत ----- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुबयाबी तक ----- की अदा करें।

दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.01.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

मुददई	रुपया	पैसा	मुददालय	हस्ताक्षर	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस-कमिशनर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	14/01/25	
मीजान			मीजान		

1. चन्द्रपाल पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रिकेन्द्रपाल पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. बच्चूसिंह पुत्र मदन जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. प्रेमवती पत्नि मदन जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

4. सब रजिस्ट्रार नदबई

—असल प्रतिवादीगण

5. संतोष पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. धारासिंह पुत्र रामखिलाड़ी जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. उमेश पुत्र सुममेरी जरिये माता कला पत्नि सुममेरी जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. रामबाबू पुत्र सुममेरी जरिये माता कला पत्नि सुममेरी जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. विजयसिंह पुत्र रामखिलाड़ी जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. विस्सू पुत्र दुण्डा जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. शांति पत्नी लक्ष्मण जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. हरीसिंह पुत्र चेताराम जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. नरेश कुमार पुत्र रामचरन जाति लौहार निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. श्यामसुन्दर पुत्र रामचरन जाति लौहार निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. रामरती पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. शाखा प्रबंधक पीएनबी बरौलीछार।

तरतीवी प्रतिवादी

14/01/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 49/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/91

किस्म दावा 88.89.188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 14.01.2025

1. चन्द्रपाल पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई
जिला भरतपुर।

2. रिकेन्द्रपाल पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई
जिला भरतपुर। वादीगण

बनाम

1. बच्चूसिंह पुत्र मदन जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।

2. प्रेमवती पत्नि मदन जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

4. सब रजिस्ट्रार नदबई

—असल प्रतिवादीगण

5. संतोष पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।

6. धारासिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई
जिला भरतपुर।

7. उमेश पुत्र सुममेरी जरिये माता कला पत्नि सुममेरी जाति जाटव निवासी
भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

8. रामबाबू पुत्र सुमेरी जरिये माता कला पत्नि सुममेरी जाति जाटव निवासी
भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

9. विजयसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई
जिला भरतपुर।

10. विस्सू पुत्र टुण्डा जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।

14/1/25

11. शांति पत्नी लक्ष्मण जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. हरीसिंह पुत्र चेताराम जाति जाटव निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. नरेश कुमार पुत्र रामचरण जाति लौहार निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. श्यामसुन्दर पुत्र रामचरण जाति लौहार निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. रामरती पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी भौसीगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. शाखा प्रबंधक पीएनबी बरौलीछार।

तरतीवी प्रतिवादी

उपस्थित श्री भरत चौधरी एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित आराजी खाता संख्या 455 के खसरा नंबर 1212 रकबा 0.43, खाता संख्या 573 के खसरा नंबर 1850 रकबा 0.28, खाता संख्या 560 के खसरा नंबर 1410 रकबा 0.51, खाता संख्या 185 के खसरा नंबर 1429 रकबा 0.26, 1841 रकबा 0.30, 1876 रकबा 0.56 किता 3 रकबा 1.12 हैक्ट 0 वाके ग्राम भौसीगा तहसील नदबई पर स्थित है।
2. यह कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 की पैतृक संपत्ति है। जो कि मृतक खूबी पुत्र बंशी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी से आयी है। मृतक खूबी पुत्र बंशी का सजरा पत्रावली पर अंकित है।
3. यह कि विवादित आराजी मृतक खूबी से असंल प्रतिवादीगण के नाम विरासतन नकल जमाबंदी संवत 2039 से 2042 में इंतकाल संख्या 239 से खूबी पुत्र बंशी के स्थान पर शिवकौर बेवा खूबीराम हिस्सा 1/2 व बच्चू पुत्र मदन व प्रेमवती बेवा मदन हिस्सा 1/2 कौम जाट साकिन देह खातेदार के

14/11/25

रूप में दर्ज रिकॉर्ड आई है। क्योंकि मृतक खूबी के जीवनकाल में वादीगण के बाबा मदन की मृत्यु हो गई थी। ऐसी सूरत में वादीगण एवं प्रति संख्या 5 असल प्रतिवादी संख्या 1 व असल प्रतिवादी संख्या 2 केसाथ 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज है। मौके पर भी काश्त करते हुए चले आ रहे है।

4. यह कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का पिता असल प्रतिवादी संख्या 1 को बहुत ही शराबी व्यक्ति है। जो आए दिन आराजी को बेचान कर चुका है। तथा और बेचान के फिराक में है। प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की दादी है को असल प्रतिवादी संख्या 1 बहला फूसला कर आराजी का वयनामा कराने को प्रयत्नशील है। इसके लिए धमकी भी वादीगण को दी गई। अतः वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराने का अधिकारी है।
5. अंत में प्रार्थना की कि वादीगण का वादपत्र इस प्रकार डिक्री किया जावे कि विवादित आराजीयात पर वर्तमान इन्द्राज जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हो रहे हैं उनको कलमजन किया जाकर असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी 5 को किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजि0एडी नोटिस तलब किया गया। असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध दिनांक 03.07.24 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 16 को वादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर तर्क किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074-77 वाके ग्राम भौसींगा, एवं नकल जमाबंदी संवत 2039-42 वाके ग्राम भौसींगा, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 पेश किया गया। तथा मौखिक बयान के रूप में चन्द्रपाल पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी भौसींगा व रिकेन्द्र पाल

14/11/25

पुत्र बच्चू सिंह जाति जाट निवासी भौसीगा के बयान पेश किए गए। हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया

वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2074-77 पेश की गई जिसमें खाता संख्या 455, 572, 580, 185 वाके ग्राम भौसीगा में अंकित खसरा नंबरान पर प्रतिवादी संख्या 1 असल बच्चूसिंह पुत्र मदन जाति जाट साकिन भौसीगा के नाम अंकन हो रहा है जो कि वादीगण के पिता बच्चूसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। इसके अलावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2039-42 पेश की गई जिसमें इंतकाल संख्या 239 से खूबी पुत्र बंशी के स्थान पर शिवकौर बेवा खूबीराम हिस्सा 1/2 व बच्चू पुत्र मदन व प्रेमवती बेवा मदन हिस्सा 1/2 कौम जाट साकिन देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड आई है। इस प्रकार विवादित आराजीयात वादीगण के परबाबा खूबीराम के नाम पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड रही है। खूबीराम के मरणोपरान्त उक्त विवादित आराजीयात मदन के नाम न आकर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बच्चूसिंह व अन्य के नाम खातेदारी विरासतन आई है। चूंकि खूबीराम के जीवनकाल में ही बच्चूसिंह के पिता मदन की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उक्त आराजीयात विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य को प्राप्त हुई है। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल हाल जमाबंदी में अंकित खसरा नंबरान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार हाल एवं गत खसरा नंबरान का मिलान हो रहा है। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड से पैतृक सिद्ध होती है। उक्त पैतृक आराजीयात में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 बच्चूसिंह के हिस्से की आराजीयात में से हक व हिस्सा जन्म से ही निहित है। इसके अलावा वादीगण द्वारा पेश किए गए गवाहों के शपथ पत्र द्वारा भी वादी के वादपत्र का समर्थन प्राप्त होता है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता संख्या 455 के खसरा नंबर 1212 रकबा 0.43, खाता संख्या 572 के खसरा नंबर 1850 रकबा 0.28, खाता संख्या 560 के खसरा नंबर 1410 रकबा 0.51, खाता संख्या 185 के खसरा नंबर 1429 रकबा 0.26, 1841 रकबा 0.30, 1876 रकबा 0.56 किता 3 रकबा 1.12 हैक्ट0 वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई पर स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से की आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उक्त विवादित आराजी में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 1 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/1/25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमीर होकर दाखिल दफ्तर हो।



11/1/25
सांगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
नदबई विवा प्रभाग